कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-.....1415104..... दिनांक 18-12-2014

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-/स0प0/S.I.B माडयूल/ 14-15/ 2426 / वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: दिसम्बर, 18 ,2014

समस्त

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर,

विभाग, उत्तर प्रदेश।

वि0अनु0शा0 इकाइयों के कार्यो में गुणात्मक सुधार लाने हेतु परिपत्र संख्या- 692 दिनांक 03-07-2012 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसके क्रम में पत्र संख्या- 905 दिनांक 04-12-2013 से वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा जॉच हेतु अनुमति प्राप्त करने/ अनुमति दिये जाने/ अन्तरिम जॉच अनुमान एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने की आनलाइन व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा की दृष्टि से माडयूल से मुरादाबाद जोन के आई0बी0 डिटेल्स टिनवाइज प्राप्त करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि एक फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 23-08-2014 को किया गया है। वि0अनु0शा0 अधिकारी द्वारा रु0 50.00 लाख (रुपया पचास लाख) का अपवंचित बिक्रय धन एवं रु0 5.00 लाख (रुपया पांच लाख) का अपवंचित कर अनुमानित करते हुए आई0बी0-2 अपलोड किया गया है, जिसका एप्रूवल ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा किया गया। तदन्तर इसी व्यापारी के सर्वेक्षण में पाये गये तथ्यों की विवेचना करने के उपरान्त फाइनल रिपोर्ट में इसी व्यापारी का अपवंचित बिक्रय धन रु0 2.00 लाख (रुपया दो लाख) एवं कर रु0 1.00 लाख (रुपया एक लाख) निर्धारित करते हुए अपलोड किया गया है, इसका एप्रूवल भी ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा किया गया। इसी व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किये गये माडयूल में अपलोड किये गये प्रतिवेदन दिनांक 19-11-2014 में न तो करापवंचन निर्धारण का आधार बताया गया और न ही किसी भी प्रकार के अनुमानित अपवंचित बिक्रय धन एवं कर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार कानपुर जोन से संबंधित एक फर्म के अन्तिम प्रतिवेदन की समीक्षा पर वर्षवार अपवंचित बिक्रय धन एवं कर निर्धारित किया गया है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी को अपलोडकर प्रेषित किये गये अन्तिम जांच प्रतिवेदन में वर्षवार अपवंचित बिक्रय धन का कोई आधार नहीं दिया गया है। उक्त अन्तिम जांच प्रतिवेदन का एप्रूवल संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर कानपुर द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा मुख्यालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया एवं व्यवस्था के अनुसार आई-बी-2 एवं अन्तिम जांच प्रतिवेदन कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं।

परिपत्र दिनांक 03-07-2012 वि0अनु0शा0 जांच के पश्चात की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) अपने स्तर से जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर अपवंचित टर्नओवर कर का आंकलन सर्वेक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर करेंगें।

इसके अतिरिक्त प्रवर्तन मैनुअल के अध्याय 6 प्रस्तर-18 में वि0अनु0शा0 जांच की प्रक्रिया एवं अनुश्रवण संबंधित प्रस्तर में भी प्रतिवेदन में जांचोपरान्त वास्तविक रुप से पाये गये करापवंचित टर्नओवर का आधार एवं औचित्य स्पष्ट रुप से अंकित किये जाने के भी स्पष्ट निर्देश हैं।

प्रसारित निर्देशों एवं प्रवर्तन मैनुअल में निर्धारित व्यवस्था के दृष्टिगत आपका यह दायित्व है कि आप अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त अन्तिम जांच प्रतिवेदन निर्धारित व्यवस्था एवं मैनुअल के अनुसार तैयार किया गया है, अपलोड करने की अनुमति प्रदान करें। मुख्यालय स्तर पर जिन प्रकरणों की समीक्षा की गयी है, उनसे

स्पष्ट है कि अधिकांश प्रकरणों में ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा केवल औपचारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए आई0बी0-2 एवं अन्तिम जांच प्रतिवेदन का सम्यक परीक्षण किये बिना हीं एप्रूव कर अपलोड कराया गया है। ऐसे प्रकरणों में जिनमें अन्तिम जांच प्रतिवेदन में अपवंचित टर्नओवर के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट विवेचना नही की जाती है तथा न ही करापवंचन का आधार दिया जाता है उनमें कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसे वादों कें कर निर्धारण करने में कठिनाई होती है। इस कारण करनिर्धारण अधिकारी भी बिना आधार के निर्धारित किये गये अपवंचित टर्नओवर एवं कर के दृष्टिगत आधार हीन अधिकांशत: एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित कर रहे हैं। प्राय: ऐसे आदेशों की अपील स्तर पर पुष्टि नहीं होती है।इससे वि0अनु0शा0 सर्वेक्षणों के आधार पर की गयी कार्यवाही का विभाग को अन्तत: कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। अतएव प्रसारित निर्देशों एवं मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराते हुए उनके द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन का अपने स्तर से स्वयं गहन परीक्षण कर माडयूल में अपलोड करने की अनुमति प्रदान करें। इससे वि0अनु0शा0 जॉच का सही प्रतिफल प्राप्त होने की सम्भावना प्रबल होगी।

अत : आपको निर्देशित किया जाता है कि वि0अनु0शा0 मैनुअल की निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण रुपेण पालन किये/कराये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित / मार्गदर्शित करना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत वि0अनु0शा0 अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना पाया जाता है तो इसका प्रतिकूल संज्ञान लेते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह पत्र कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दि0उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित कों इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशों का अनुपालन कठोरता एवं समयबद्धता से सुनिश्चित करायें:-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

2--समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।